झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–68 / 2020

दशरथ नायक उर्फ दशरथ नायक .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिएः श्री चन्द्रजीत मुखर्जी अधिवक्ता।

राज्य के लिएः ए0पी0पी0।

2 / 14.01.2020

पक्षों को सुना।

याचिकाकर्त्ता, दालभूमगढ़ थाना काण्ड संख्या 34 / 2014, जी0आर0 संख्या 271 / 2014 के संबंध में एक अभियुक्त है।

यह आरोप लगाया गया है कि उपद्रवियों ने पेट्रोल पम्प में प्रवेश किया और एक मोटरसाईकिल, मोबाईल, नकद, लैपटॉप और मोबिल को लूट लिया।

यह प्रतीत होता है कि सह–अभियुक्त बस्ता मुर्मू के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर याचिकाकर्त्ता को फंसाया गया है जिसे इस न्यायालय के बी0ए0 संख्या 7442/2015 के द्वारा जमानत प्रदान किया जा चुका है।

अभिरक्षा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त नामित याचिकाकर्त्ता को 10,000/– (दस हजार) के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, घाटशिला की संतुष्टि पर दालभूमगढ़ थाना काण्ड संख्या 34/2014, जी0आर0 संख्या 271/2014 में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)